पत्र संख्या-स्था-6-सामान्य निर्देश //2017-18// 6228 // वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ // दिनांक // 02 // फरवरी ,2018

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश।

अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या-42 दिनांक 14-05-2016 व पत्र संख्या-3735 दिनांक 27-10-2016 द्वारा सम्भागों के समस्त खण्डो / मण्डलीय / उपमण्डलीय कार्यालयों में बाहरी / निजी व्यक्तियों से नियम विरुद्ध कार्य लिया जाना दृढ़तापूर्वक समाप्त करने के निर्देश दिये गये थे। यू0पी0 वाणिज्य कर मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन, उ0प्र0 के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि वाणिज्य कर विभाग की कई कार्यालयों में बाहरी व्यक्तियों द्वारा अवैधानिक रुप से कार्य कर रहें हैं, जो राजस्व एवं सरकारी अभिलेखों की सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि कृपया अपने-अपने सम्भागों के समस्त खण्डो / मण्डलीय / उपमण्डलीय कार्यालयों में बाहरी / निजी व्यक्तियों से नियम विरुद्ध कार्य लिया जाना दृढ़तापूर्वक समाप्त करें। कृपया इस आशय का प्रमाण-पत्र कि आपके अधीनस्थ किसी भी कार्यालय में कोई भी बाहरी / निजी व्यक्ति कार्यरत नहीं हैं,उपलब्ध करायें। अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों / कर्मचारियों को यह भी संसूचित करें कि आकस्मिक जॉच में यदि किसी कार्यालय में कोई बाहरी / निजी व्यक्ति कार्य करते हुये पाया जायेगा तो सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>पृष्ठांकन पत्रसंख्या व दिनांक : उक्त</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर उ0प्र0 को दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा जोन के सम्भागीय ज्वाइन्ट कमिश्नर से उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु।

2- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को एक प्रति विभागीय वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

02/02/18

एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।